- (b) the category of workmen who are entitled:
- (c) whether those getting regular leave under Government orders are also entitled;
  and
  - (d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE OF HOME **AFFAIRS** MINISTRY (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d). Leave travel concessions is admissible to all the industrial and work charged staff who are entitled to regular leave and have completed one year of service; their number is not readily available. However, contingency paid staff and casual labourers are not entitled to leave travel concession, because of the nature of their employment.

## ANDAMAN SPECIAL PAY

- 5163. SHRI K. R. GANESH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether industrial staff recruited from mainland are entitled to Andaman Special Pay;
- (b) if so, whether they are entitled to free passage as others recruited from mainland are; and
  - (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME **AFFAIRS** (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). Andaman Special Pay is being allowed to the industrial staff under the general orders contained in the Ministry of Home Affairs letter dated the 22nd January, 1951. However, the grant of free passage is governed by separate provisions contained in the Fundamental and Supplementary Rules. As the industrial staff are not governed by those Rules, they are not entitled to free passage.

## हिन्दी अधिकारी

- 5164 भी शिवचरण लाल : गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.
- (क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समिति के सुझावों की उपेक्षा की गई है और हिन्दी

- अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है और इसके बजाय अवर-सिववों अथवा अन्य उच्च अधिकारियों के लिये मासिक मानदेय मंजूर किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह मानदेय मंजूर करने से पहले हिन्दी सलाहकार समिति की सहमति प्राप्त की गई थी:
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) उन मतालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये उनके मतालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण गुक्ल): (क) ओर (घ) .17 मंत्रालयों/ विभागों में हिन्दी अधिकारी पहले ही से काम कर रहे हैं। 9 मंत्रालयों/विभागों में विरिष्ठ प्रधिकारी ग्रपने सामान्य काम के भ्रतिरिक्त हिन्दी संबंधी काम की देखभाल बिना मानदेय लिए कर रहें हैं। केवल स्वास्थ्य एवं पैट्रौलियम तथा रसायन मंत्रालय में ही एक एक भ्रधिकारी को हिन्दी सम्बन्धी काम के लिये मानदेय दिया गया है।

(ख) ग्रौर (ग). हिन्दी सलाहकार समिति की सहमति प्रात करना श्रावश्यक नहीं था।

## हिन्दी असिस्टेंट

5165. श्री शिवचरण लाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्य कर रहे हिन्दी ग्रसिस्टेंटों/प्रनुवादकों को पदोन्नत के कोई ग्रवसर उपलब्ध नहीं हैं;
- (ल) क्या यह भी सच है कि स्नातकोत्तर बिग्री बारी ग्रधिकांग व्यक्तियों को हिन्दी में कार्य का 7-8 वर्ष का जो भनुभव है वह हिन्दी श्रकसर के पद के लिये अपेक्षित न्यूतम योग्यताझों से कहीं श्रविक योग्यता है;